फर्द अहकाम

(प्रकरण सं. 138/2013 सरकार बनाम सुमित्राबाई पत्नी दयालसिंह वगैरह)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7-8-2019	अप्रार्थी राणासिंह के प्रार्थना–पत्र पर पत्रावली पेशी में ली गई। अप्रार्थी राणासिंह के वारिसों ने प्रार्थना–पत्र मय साक्ष्य प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी राणासिंह फौत हो चुका है एवं प्रार्थीगण उसके जायज वारिस हैं जिन्हें पक्षकार बनाया जावे और रेफरेंस स्वीकृत किया जावे तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। प्रार्थी तहसीलदार ने प्रार्थना–पत्र वारिसान अप्रार्थी राणासिंह स्वीकार करने की सहमति दी। अतः अप्रार्थी राणासिंह के वारिसान का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर राणासिंह को फौत अंकित कर वारिसान को अप्रार्थीगण सं. 1/1 से 1/7 पर बतौर वारिस दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। मूल रेफरेंस में इसी प्रकार लाल स्याही से संशोधन अंकित किया जावे। बहस सुनी गयी। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया एवं जवाब प्रार्थना–पत्र पर गौर किया। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है : ''जिला कलक्टर ऐसा रिकॉर्ड शुद्धता व वैधता की जांच हेतु रिकॉर्ड मंगाकर राज्य सरकार अथवा राजस्व मण्डल को भेज सकते हैं।'' प्रस्तुत रेफरेंस तहसीलदार, घड़साना द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। उक्त धारा के अनुसार जिला कलक्टर अपने किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय के अधिकारी, जो उनके अधीनस्थ हैं, के रिकॉर्ड को मंगवाकर उसकी वैधता के सम्बन्ध में जांच कर सकते हैं। स्टेट द्वारा प्रस्तुत पटवारी की रिपोर्ट, जमाबन्दी, नामान्तरकरण, भू–प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी के अनुसार चक 2 पी.एम. द्वितीय 'बी' के पत्थर नं. 214/34 (101) के किला नं. 4–5 = 0.506 है0, जो पुराने खसरा नं. 31 ग्राम फूलसर से तरमीम हुआ है, जोहड़ दर्ज है। इन्तकाल अनुसार जोहड़ स्वीकृत हुआ है। उक्त भूमि, जो पुराने ग्राम फूलसर के खसरा नं. 31 से तरमीम, चक 2 पी.एम. द्वितीय 'बी' का पत्थर नं. 214/34 के किला नं. 4–5 = 0.506 है0 है, की किस्म जोहड़ पायतन दर्ज थी, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में प्रतिबन्धित भूमि थी और आवंटन योग्य नहीं थी। ऐसी स्थिति में आवंटन के लिए प्रतिबन्धित भूमि का आवंटन अप्रार्थी के पक्ष में किया गया है, वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल होने से अवैध है और आवंटन खारिज किये जाने योग्य होने से मामला अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित धारा 9 में रेफरेंस किये जाने हेतु प्रकरण मय आदेश माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित हो। शपथ–पत्र अप्रार्थीगण के आधार पर रेफरेंस स्वीकार कर पत्रावली रेफरेंस स्वीकार करने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रस्तुत करने के आदेश दिये जाते हैं। रेफरेंस हेतु पत्रावली स्वीकार होने पर रेफरेंस बनाकर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में पत्रावली प्रस्तुत की जावे। तहसीलदार घड़साना को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में निर्धारित समयावधि में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ़	

Scanned by CamScanner